भारत सरकार
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं0-1156
उत्तर देने की तारीख 16 अगस्त, 2013

ब्रॉडबैंड की व्याप्ति

1156. श्री सी0एम0 रमेश :

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि देश में ब्रॉडबैंड की व्याप्ति केवल 1.44 प्रतिशत ही है;

(ख) यदि हां, तो इसे बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) क्या सरकार "इलेट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ सर्विसेज बिल" को लागू करने से पहले इस व्याप्ति में वृद्धि करने की स्थिति में होगी ?

उत्तर

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिंद देवरा)

(क) और (ख) : दिनांक 31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसर देश में ब्रॉडबैण्ड की व्याप्ति 1.24 प्रतिशत थी। सरकार ने नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (एनओएफएन) स्थापित करने संबंधी स्कीम को अनुमोदित कर दिया है। इस स्कीम के अंतर्गत देश की सभी ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर के जरिए "कनेक्ट" किया जाएगा और इस प्रयोगजनार्थ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों नामतः बीएसएनएल, रेलटेल और पॉवर ग्रिड की मौजूदा फाइबर का प्रयोग किया जाएगा और जहां भी आवश्यक होगा वहां ग्राम पंचायतों और ब्लॉकों के बीच संयोजन अंतर को पाटने के लिए इंकरीमेंटल फाइबर बिछाई जाएगी। इस प्रकार तैयार किए गए डार्क फाइबर से प्रत्येक पंचायत में कम-से-कम 100 एमबीपीएस की बैण्डबिड्थ सुनिश्चित होगी।

सेवा-प्रदाताओं की सभी श्रेणियों को नेटवर्क की गैर-विविक्तकर (नान-डिसक्रिमिनेटरी) पहुँच प्रदान की जाएगी। मोबाइल प्रचालक, इंटरनेट सेवा प्रदाता, केबल टीवी प्रदाता, कंटेंट प्रदाता जैसे पहुँच प्रदाता/सेवा प्रदाता ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न सेवाएं शुरू कर सकते हैं। ई-स्वास्थ्य, ई-शिक्षा, ई-प्रशासन आदि के लिए विभिन्न अनुप्रयोग उपलब्ध करवाए जाएंगे।

(ग) सरकार ने "इलेक्ट्रोनिक डिलिवरी ऑफ सर्विस बिल 2011" को वापिस लेने और "द इलैक्ट्रोनिक डेलिवरी आफ सर्विस बिल 2012" को संसद में पेश करने के संबंध में अपनी मंजूरी दे दी है। यह सरकार का प्रयास है कि वर्तमान में क्रियान्वित किए जा रहे विभिन्न उपायों के जरिए ब्राण्डबैंड व्याप्ति में वृद्धि की जाए ताकि नागरिकों को मिलने वाली सेवाएं सुविधाजनक हों।

******